मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन क्रमांक–3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 26/06/2020

क्रमांक/1115/1418/2020/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 24/06/2020 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुक्रम में निम्नलिखित आयुष चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम (3) में उल्लिखित तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान कॉलम (4) में अंकित दिनांक से स्वीकृत किया जाता है:–

क्र.	नाम/पदनाम/जिला	तृतीय समयमान वेतनमान विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान	दिनांक जिससे समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त होकर देय है।
1	2	3	4
1.	डॉ. नरेश कुमार श्रीवास्तव (से.नि.) आचिअ जिला–विदिशा	तृतीय नवीन 06.06.2017 (37400–67000+8700)	दिनांक 06.06.2017
3	डॉ. गंगाधर द्विवेदी विशेषज्ञ आयुर्वेद आयुष विंग, जिला–जबलपुर	तृतीय नवीन 24.06.2017 (37400–67000+8700)	दिनांक 01.04.2018

2/– **डॉ0नीरजा शक्ला, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला रीवा** को दिनांक 25.04.2017 से तृतीय समयमान वेतनमान पर समिति द्वारा विचार किया गया। उनके वर्ष 2013 से 2017 तक के गोपनीय प्रतिवेदनो को विचार में लिये गये। वर्ष 2015 के गोपनीय प्रतिवेदन में दो प्रतिकूल टीकायें प्रतिस्थापित है। विचारण वर्ष 2015 के गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टीका के निराकरण उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।

3/– **डॉ. कैलाश पवार (से.नि.) आचिअ, जिला–ग्वालियर** को तृतीय समयमान वेतनमान पर समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा पाया गया कि डॉ0पवार को तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता दिनांक 01.07.2014 से दिये जाने हेतु पूर्व बैठक दिनांक 04.10.2017 में विचार किया जा चुका है जिसमें विचारण वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर दिनांक 04.10.2017 में तृतीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये गये है।

4/– डॉ0पवार के वर्षान्त 31.3.2015 के गोपनीय प्रतिवेदन कलेक्टर, ग्वालियर ने "अच्छी" (ख) श्रेणी अंकित की गई। संपूर्ण गोपनीय प्रतिवेदन की अभियुक्तियां भी "साधारण/अच्छी" श्रेणी की ही अंकित है। लेकिन अतिम मतांकन अधिकारी द्वारा बिना किसी टीप के दो श्रेणी अपग्रेड कर उत्कृष्ट (+क) श्रेणी की है, जो नियमानुसार नहीं है। समिति द्वारा उक्त गोपनीय प्रतिवेदन की श्रेणी "अच्छा" (ख) मान्य की गई। विचारण वर्ष 2011 से 2015 के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में तृतीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त है।

5/– कार्यालय प्रमुख द्वारा समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्न विन्दुओं के संबंध में संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख से पुष्टि कर ली जाए :–

2.1 यदि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच चल रही हो तो समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जावे।

2.2 समयमान वेतनमान का लाभ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक–एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24/09/2008 के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र क्रमांक–एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 07.11.2009 के अनुसार किया जावे।

6/ उपरोक्त वेतन निर्धारण में शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जावें। इस आदेश के द्वारा स्वीकृत समयमान वेतनमान संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदन पश्चात ही देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
26-6-2020
(कलाबती उईके)
अवर सचिव
म. प्र. शासन, आयुष विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/1116/1418/2020/1/59
भोपाल, दिनांक 26/06/2020

प्रतिलिपिः–

1– निज सचिव, सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
2– आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल। (डॉ.नीरजा शुक्ला, डॉ.नरेश कुमार श्रीवास्तव,डॉ.गंगाधर द्विवेदी एवं डॉ.कैलाश पवार के मूल गोपनीय प्रतिवेदन फोल्डर मूलतः संलग्न है)
3– संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, भोपाल/जबलपुर संभाग।
4– उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश को विभागीय बेवसाइड पर प्रदशित करने हेतु।
5– संभागीय आयुष अधिकारी,भोपाल/जबलपुर/रीवा/ग्वालियर।
6– जिला आयुष अधिकारी जिला विदिशा/जबलपुर/रीवा/ग्वालियर। उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु प्रेषित।
7– संबंधित डॉ..द्वारा जिला आयुष अधिकारी जिला विदिशा/जबलपुर/रीवा/ग्वालियर।
8– आदेश फाइल।

26-6-2020
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग